

LOAN CUM HYPOTHECATION AGREEMENT

ऋण तथा उपप्राधीयन इकरारनामा

THIS LOAN AGREEMENT ("Agreement") is made at the place and on the date as stated in the schedule 1 hereunder written ("the Schedule 1") BETWEEN The Borrower described as stated in the Schedule 1 hereinafter referred to as "the Borrower" (which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include his / her / its / their respective heirs, administrators, executors, legal representatives (where the borrower is an individual / sole proprietor), Successors (where the Borrower is a Company incorporated under the Companies Act 1956/2013 or any other body corporate), the partner(s) from time to time of the firm, the survivor(s) of them and their heirs, executors administrators, legal representatives and the successors of the partner(s) (where the Borrower is a partnership firm) of the First part

The Person mentioned as Guarantor(s) in Schedule 1 (hereinafter referred to as "Guarantor(s)" which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and permitted assigns) of the Second Part;

M/s Shriram City Union Finance Limited, a Limited liability Company incorporated under the Companies Act 1956 having its Registered office at 123 Angapalan Naldeen Street, Chennai 600001, and an office at the address mentioned in Schedule 1, hereinafter referred to as the "Lender", which expression shall, unless it be repugnant to the subject or context thereof, shall mean and include its successors, transferees and assigns, of the Other Part. The Borrower, the Guarantor(s) and the Lender shall hereinafter be referred to individually as "Party" or collectively as "Parties".

Reference to any gender shall include all genders and reference to the single number shall include reference to plural numbers and vice versa in the context thereto.

WHEREAS

- The Lender is inter-alia engaged in the business of extending financial assistance for the purchase of motor vehicles and other assets (hereinafter referred to as "the Assets"/ "the Vehicle")
- The Borrower(s) has requested the Lender for financial assistance for the purchase of Vehicle/ Asset more fully described in Schedule 1 of this Agreement, against the security of the Said Vehicle/ Asset, which is free from any encumbrance.
- The Borrower(s) in consideration of having availed the loan facility, has agreed to abide by the terms and conditions stipulated by the Lender and more fully set out hereunder and in particular not to deal with Schedule mentioned asset / collateral asset, by way of sale, alienation, hypothecation, pledge or in any other manner whatsoever except as herein authorized by the Lender in writing, until the entire due amount under this Agreement is paid to the Lender.
- The Lender, relying upon the above representations made by the Borrower(s), has agreed to provide the loan sought for to the Borrower(s), upon the terms and conditions stipulated herein.

NOW IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS UNDER:

1. The Borrower had approached the Lender for a Loan amount as stated in Schedule 1 (the loan amount hereinafter shall be referred to as the "loan" or "Loan" or "Loan Amount") for purchase of a Vehicle as mentioned in Schedule 1 hereto and the Lender has agreed to extend the Loan subject to the terms, conditions herein below

2. Financing Arrangements

2.1 This Agreement entered into between the Lender and the Borrower in connection with the Loan is a pure financing arrangement and the Borrower shall bear all risk in relation to the vehicle purchased under this Loan Agreement.

2.2 The Borrower agrees to pay to the Lender the processing fee together with Goods & Service tax (GST) as set out in Schedule 1. Alternatively, the Borrower hereby authorizes the Lender to deduct the processing fees including GST from the Loan Amount and disburse the balance loan amount to the dealer. The Borrower hereby confirms that irrespective of deduction of processing fees including GST, the obligation of the Borrower to repay to the Lender shall be of the entire Loan Amount along with Interest, and other charges in terms of this Agreement. The processing fee deducted by the Company is to meet the out of pocket expenses and the same is not refundable / non-adjustable.

2.3 The Borrower shall continue to pay the installments/ Equated Monthly Installments (EMI) as per Schedule 1 hereto on the respective due dates ("Due dates") regardless of whether the Vehicle is in good condition / has been delivered or not.

2.4 Any amount received from the Borrower shall normally be credited to the EMI dues. The Borrower hereby authorizes the Lender at their discretion to appropriate such receipts, first towards bank Charges, then towards Expenses and then towards Overdue Interest for delayed payment and then the balance if any, will be credited/ adjusted towards the installment dues. The Lender shall have the discretion to alter the mode of such appropriation. Similarly, the proceeds of sale of Vehicle when reposessed and sold shall be appropriated at the discretion of the Lender. The Borrower hereby agrees that the net amount after deduction of all applicable taxes including GST on the charges will be credited to the loan account.

3. Repayment of Loan

3.1 The Borrower shall repay the Loan together with interest as per schedule 1 forming part of this Agreement, whether demanded or not on the respective due dates.

3.2 The Borrower agrees to pay to the Lender the Advance EMI as set out in Schedule 1. The Borrower hereby authorizes the Lender to deduct the advance EMI from the loan amount and to disburse the balance loan amount to the Dealer. The Borrower hereby confirms having understood that interest is charged on the net Loan amount (viz. Loan amount minus advance installment / EMI). The Borrower hereby confirms that he has understood the computation of 'effective / annualized interest' mentioned in the schedule 2 herein, and agrees to repay the loan in terms of the schedule 1 herein.

3.3 The Borrower hereby confirms that the effective rate of interest as specified in schedule 2 is arrived at on the basis of the amortization of principal and interest and that the Borrower shall not dispute such calculation at a later date.

3.4 The mode of repayment by the Borrower will either be by issue of ACH Mandate / ECS / Auto Debit / cash remittances or Post dated cheques as desired by the Borrower. If the installment is not credited to the account of the Lender on the due date, then it shall be construed that the Borrower is at default and the clauses consequent to default will be applicable.

3.5 The Borrower shall be liable to pay cheque dishonor charges together with applicable GST as mentioned in the schedule 2. Upon the ACH / ECS / cheque being dishonored / ECS or ACH payments not received / stopped, the Borrower shall replace such cheque / ECS / ACH with a demand draft or cash by paying the defaulted amount together with overdue interest at the rate as per schedule 2 hereto until realization of the amount, besides the Cheque dishonor charges and other charges.

3.6 The Borrower shall be liable for payment of Overdue interest at the rate as specified in Schedule 2 on all the amounts which have not been paid by the Borrower and shall be computed from the respective due date for payment till realization.

3.7 If any of the past dated cheque is lost, destroyed or misplaced while in the custody of the Lender or become non-cashable due to death, insolvency, lunacy, termination of authority or the liquidation of the drawee bank or requires replacement for any reason whatsoever in the discretion of the Lender, then in that event, the Borrower or his legal representative / heirs shall within 15 working days of receipt of such intimation from the Lender substitute/ replace any such cheques/ or mandate with fresh cheques/ or mandate.

3.8 The Borrower may swap/interchange the Cheques or mandates subject to consent of the Lender on payment of Swap charges as per schedule 2 together with applicable GST.

3.9 The Borrower shall not close the bank account on which mandate / PDC is issued, until discharge of the liability under this Agreement. If in case, the Borrower intends to close the Bank account for any reason whatsoever, then in such event, the Borrower shall replace the mandate / Post Dated Cheques issued in favour of the Lender, together with payment of swap charges as per schedule 2 hereto.

3.10 The Borrower shall make available the funds in the bank account required for meeting out the repayment obligations under this Agreement irrespective of any other commitment or obligations of Borrower.

3.11 The Borrower is liable for payment of collection expenses (together with GST) as per Schedule 2 for every attempt made by the Lender to collect the delinquent amount from the Borrower. This is in addition to the other amounts payable by the Borrower to the Lender under this Agreement.

4. Guarantee

4.1 In Consideration of the Lender having advanced the Loan to the Borrower, the Guarantor hereby agrees and confirms that the Liability of the Guarantor to discharge the amounts due to the Lender in terms of this

ऋण इकरारनामा (इकरारनामा) आज दिनांक बर्ष १ में बर्णित किये गये जगह और तारीख को किया गया है (वर्ष-१) है जो की ऋण लेनेवाले बिनका वर्णन १ में बर्णित किया गया है जिन्हे इसके आगे (ऋण लेनेवाले) के नाम से संबोधित किया जायेगा (जिस संज्ञके स्पष्टीकरण के लिये उपरमं समाविष्ट न किये हुए या बिनका संबोधन किया गया नहीं है/उन्के/उन्की/उन्के कानूनन बाबत, प्रशासन, उत्तराधिकारी, कानूनन प्रतिनिधी इनका समावेश किया गया है (जहाँ ऋण लेनेवाले वह स्वयंपूर्ण/ पूरे मालिक हो) उनके उत्तराधिकारी (जहाँ ऋण लेनेवाले वह एक कंपनी जो की कंपनी कानून १९५६/२०१३ के तहत पंजीकृत कंपनी या अन्य कोई अनौकृत संस्था हो), भागीदार जे हर कस उन सम हो, उनके निरर्थक हकदार और उन्के वरिय, कार्यकारी, प्रशासक, कानूनन प्रतिनिधी एवं उस भाग्यर के (भागीदारों के) उत्तराधिकारी बिनका समावेश होया (जहाँ ऋण लेनेवाले वह एक भागीदारी संस्था हो) प्रथम फलकार:

और व्यक्ति बिनका वर्णन यह वर्णन १ में दिया गया है जो जमानती (ऋण उत्तरदायी) है (जिनको जमानती (ऋण उत्तरदायी) से संबोधित किया जायेगा) इस संज्ञके स्पष्टीकरण के लिये उपरमं समाविष्ट न किये हुए या बिनका संबोधन किया हुआ और और उनके स्पष्टीकरण के लिये उपरमं समाविष्ट न किये हुए उनके उत्तराधिकारी एवं संतु किये हुए उनके हकदार,इन्का समावेश किया हुआ) द्वितीय फलकार:

और मेसर्स श्रीगम सिटी यूनियन फायन्यान्स लिमिटेड, एक बर्णित बिनमोदरी रखने वाली कंपनी जो की कंपनी कानून १९५६ के तहत पंजीकृत की हुई है बिनका पंजीकृत कार्यालय यह १२३, अण्णा नाकरन स्ट्रीट, चेन्नई ६००००१ यहाँ पर स्थित है और उनका कार्यालय जो की वर्णन १ में दिये हुए जगह पर स्थित है, जिन्हे इसके आगे (ऋणकर्ता) के नाम से संबोधित किया जायेगा, उस संज्ञके स्पष्टीकरण के लिये उपरमं समाविष्ट न किये हुए उनके उत्तराधिकारी, अभिलेखित तारीख एवं हकदार इनका समावेश किया गया है तृतीय फलकार:

ऋण लेनेवाले, जमानती (ऋण उत्तरदायी) एवं ऋणकर्ता इन्हे इसके आगे हरके बाद व्यक्तिगत रूप से (फलकार) या संवत्करपसे (फलकार) के नाम से संबोधित किये जायेंगे। कइती भी व्यक्ती बिनमें समी व्यक्तीयों का समावेश किया है और वह किसी एक के संदर्भ में जिसमें अनिक्कननों का समावेश किया गया है और उनके संबंधित स्पष्टीकरण का समावेश है।

ज्याअर्थः

(अ) ऋणकर्ता यह मोटर गाडी एवं अन्य मालमला को खरीदने के लिये आर्थिक सहाय देने के व्यवसाय में व्यस्त है (इसके आगे वह मालमला/मोटर गाडी)

(ब) ऋणकर्ता यह ऋण लेनेवालों को मोटर गाडी / मालमला खरीदने के नि आर्थिक सहाय देनेकी बिनती की जिसके बारे में यहाँ पर आगे इस करारनामों के वर्णन १ में विशेषरूपसे बर्णित किया गया है जो की उस मोटरगाडी /मालमला के सुरक्षारण माना गया है जो की समी उपप्राधीयनता से मुक्त होगी।

(क) ऋणकर्ता यह ऋण प्राप्तय उपलब्ध करके लिया है, जिसके लिये उन्होंने ऋणकर्ता द्वारा दिये हुए शर्तों के अर्धान रहने का कबूल किया है और जो यहाँ पर विशेषरूपसे लिखित स्वरूप में दि हुई है और विशेषरूपसे वर्णन में बर्णित किये गये मालमला के लिये/ अन्य मालमला के लिये व्यवहारित नहीं की जायेगी, जो की उसके बचेन्द्राग, कब्जे के द्वारा, उपप्राधीयनतासे, दान करने से या अन्य किसी प्रकार से जो कोई भी हो जो की सिर्फ ऋणकर्ता के द्वारा लिखित रूपसे अधिकृत की गई है। जतकतें पूरी रकम को इस इकरारनामों में लिखी गई है वह ऋणकर्ता को वापस नहीं करते हैं तवकत कर नहीं सकते।

(ड) ऋण लेनेवाले, ऋणकर्ता द्वारा उपरोक्त लिखे हुए प्रतिनिष्पार अर्धान रहकर कबूल करते हैं की वह ऋण लेने वालों को माँगें हुए ऋण को यहाँ पर नमूद ऋण एवं हुए शर्तों के अर्धान रहकर देने हैं।

अब यहाँ पर पक्षकारों के बीच एवं उनके द्वारा निम्नवत लिखित स्वरूप में लिखित किया जाता है की:

१. ऋण लेनेवाले ऋणकर्ता इसके पास ऋण रकम को की वर्णन १ में बर्णित की गयी है (जिन्हे इसके आगे (यह ऋण) या (ऋण रकम) से संबोधित किया जायेगा) जो की शर्तों के और लिखित किये हुए मोटर गाडी को खरीदने के लिये जो की वर्णन १ में लिखित की हुई है उसके लिये ले रहे हैं और ऋणकर्ता यहाँ पर कबूल करते की यह ऋण यह यहाँ पर निम्नवत लिखित शर्तों के आधार दे रहे हैं।

२. आर्थिक व्यवस्थापना

२.१ यह इकरारनामा ऋण लेनेवाले एवं ऋणकर्ता इन्के दरमियान इस ऋण के लिये किया जा रहा है जो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था के लिये है जो ऋण लेनेवाले वेपारें यह सभी जोखिम जो की इस गाडी के खरीदने के लिये इस इकरारनामों से संबंधित है उसे यह पुरा करेंगे।

२.२ ऋण लेनेवाले यह ऋणकर्ता को ऋण प्रक्रिया शुल्क के साथ अदा करने का कबूल करते हैं जिन्सेके लिये ऋणलेनेवाले यह ऋण कर्ता को यह प्रक्रिया शुल्क विना लागू होने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कर रकम के साथ अदा करेंगे जो की वर्णन २ में लिखित की गई है। साथ ही ऋण लेनेवाले यह ऋणकर्ता को यह प्रक्रिया शुल्क जिसमें जीएसटी का समावेश किया गया है वह ऋण रकम से कम करने के लिये प्राधिकृत कर रहे हैं और बाकी ऋण रकम यह विक्रान्त को अदा करेंगे। ऋण लेनेवाले यहाँ पर कबूल करते की यह प्रक्रिया शुल्क जो इसके लिये लागू हुई है जिसमें जीएसटी का समावेश है उसे काटक लेने का कबूल करते हैं, ऋण लेनेवाले यहाँ पर यह रकम ऋणकर्ता को वापस करेंगे जो की पूरी ऋण रकम उसके ब्याज के साथ होगी और बाकी शुल्क को इस इकरारनामा के तहत नहीं होगी। यह प्रक्रिया शुल्क कंपनी के द्वारा यह अपने खुद के खर्चों से की जायेगी और वह बिना वापस करनेवाली /वगीर ऑडिटरद्वारा रकम होगी।

२.३ ऋण लेनेवाले यह वर्णन २ में लिखित किये हुए के अनुसार उसके किशर समान मासिक किशर (ईएमआय) जो उस तारीख को ("देय तारीख") यह गाडी अच्छी स्थिती में /दि हो अथवा न दि हो उसके बिना संबंध अदा करेंगे।

२.४ कोई भी रकम ऋण लेने वालों के द्वारा प्राप्त होय वह तस्किन रूपअत्रर (मासिक किशर) को भी देय होनेवाली रकम में जमा की जायेगी। ऋण लेनेवाले यह ऋणकर्ता को प्राधिकृत करते हैं की वह अपनी भर्जी से ऐसी रकम, बूटल बंक या शुल्क, उसके बाद जो अदा करनेवाली रकम जो देर करने के लिये और उसके बाद बाकी कोई भी रकम के लिये आणी खर्च के लिये और उसके बाद आर कूठ बाकी हो तो उसके लिये करेंगे, जो की मासिक किशर के लिये अदा की जायेगी। यहाँ पर ऋण लेनेवाले ऋण कर्ता को यहाँ पर उनके अपने पुरे माँगें के साथ ऐसी किसी लिख लगे उस स्वरूप में कर देंगे। साथ ही उस मोटर गाडी बचने की प्रक्रिया अत्रर पुनःअक्रिया करी जायेगी और सेवा जायेगा तब यह पूरी तरह से ऋणकर्ता के भर्जी से होगा। ऋण लेनेवाले कबूल करते हैं की यह कबूल करने पर अधिकार होनेवाले समी राजनव की कटौती करने के बाद जिसमें शुल्कर लागू होनेवाली जीएसटी का समावेश किया गया है वह इस ऋण खाते में ही जमा हेतु रहेगा।

३. ऋण वापस करना

३.१ ऋण लेनेवाले यह इस ऋण रकम को उसपर अधिकार किये हुए ब्याज सहक साथ जो की वर्णन १ में लिखा गया है जो की इस इकरारनामों का ही एक भाग है उसके साथ वापार अदा करेंगे, या या तो माँग करने के शिक्ती में अन्यथा न करने के शिक्ती में उस तारीख को अदा की जायेगी।

३.२ ऋण लेनेवाले यह कबूल करते हैं की, ऋण कर्ता इन्हे अग्रिम मासिक किशर अदा करेंगे जो की वर्णन २ में लिखा गया है। ऋण लेनेवाले यह यह ऋण कर्ता को प्राधिकृत करते हैं की वह अग्रिम मासिक किशर को इस ऋण रकम में से कम करेंगे और बाकी ऋण रकम यह विक्रान्त को अदा करेंगे। ऋण कर्ता यहाँ पर कबूल करते हैं की वह एक पूरी ऋण रकम पर अधिकार होनेवाला ब्याज वह एक रूप में समकृत लिये है (याने के ऋण रकम में से अग्रिम मासिक किशर /ईएमआय)। ऋण लेनेवाले यहाँ पर कबूल करते हैं और हमी इतने है की वह "परिणामी/ बालाना ब्याज" इसकी कलंकपुस्तक को समकृत लेते हैं जो की यहाँ पर निम्नवत रूपसे २ में लिखित है और कबूल करते हैं की यह ऋण वह निम्न लिखित वर्णन २ में लिखित किये हुए शर्तों के आधार पर वापस कर देंगे।

३.३ ऋण लेनेवाले यह हमी देने हैं की, यह ब्याज का दर जो की परिणामीयता किया गया है जो की वर्णन २ में लिखित किया गया है वह उसके मूल रकम और ब्याज इसके एकत्रित किये हुए रकमपर होगी और ऋण लेनेवाले यह यहाँ पर ऐसी निर्धारण के लिये (कलंकपुस्तक) बाद विदों में को भी विवाद उपस्थित नहीं करेंगे।

३.४ यहाँ ऋण लेनेवाले के तरफ से ऋण वापस करने का तरीका एक तो एसीएच मॉन्टेड /ईसीएच/अभनेआक कटौती/रकम वापसी या अग्रिम तारीख के धनदादेश के द्वारा होयागी। और तबसे इन्केद्वारा किया जायेगा। अगर मासिक किशर यह ऋण कर्ता इन्के खातेपर देय तारीख को जमा किया गया हो तो ऋण लेनेवाले इन्का दोष हुआ वह सझा जायेगा और उस वेप के लिये शर्तें लागू होंगी।

३.५ ऋण लेनेवाले यह सङ्कन होनेवाले धनदादेश की रकम शुल्क उसके लागू होनेवाले जीएसटी के साथ जो वर्णन २ में लिखी गई है उसके साथ अदा करेंगे। यह एसीएच/ईसीएच/धनदादेश अगर कंश नहीं हुई/ईसीएच या एसीएच देय प्रान न हुआ/रकमा तो ऋण लेनेवाले यह ऐसे धनदाेश/ईसीएच/एसीएच यह डिमांड ड्राइफ्ट। या अगर ऐसी दोष करने की रकम उसपर देय होनेवाला ब्याज के साथ अदा करेंगे बिनका वर्णन वर्णन २ में दिया गया है जो रकम उस रकम के वापस करने के लिये वापस की जायेगी, ऐसे कंश न होनेवाले धनदाेश और बाकी शुल्क के अलावा रहेगी।

३.६ ऋण लेनेवाले यह ऐसे देय होनेवाले ब्याज को अदा करने के लिये जिम्मेदार रहेंगे जो ऐसे देर से देयें बिनका वर्णन वर्णन २ में लिखा गया है, जो समी रकमपर होगी जो की ऋण लेनेवालों की तरफ से ऋण लेनेवालों के द्वारा देय होगी और वह उनके देय तारीख से अदा होनेक गिनी जायेगी।

३.७ अगर कोई भी अग्रिम तारीख का धनदाेश यह ऋणकर्ता के तावे रहते समय गुण हो गया, नष्ट हुआ या गुण हो गया या मृत्यु के वजहसे, विवाद के वजहसे, किसी अपरिहार्य परिस्थिती के वजहसे, अधिकारियों के द्वारा रद्द करने के वजह से कंश न हो पाया तो या जिस बँक से अदा होना है वह लिक्विडीशन में होनेसे या किसी भी कारणवश बदलना पडा जो भी होगा वह पूरी तरह से ऋणकर्ता के इच्छा से होगा, उस वजह ऐसे परिस्थिती में, ऋण लेनेवाले या उनके कानूनन प्रतिनिधी / वारियर सह कार्यलयीन १५ दिन के अंदर ऐसी सुचना प्राप्त होने के बाद ऋण कर्ता को उस धनदाेश को बदलकर दूसरे को धनदाेश से बदल देंगे।

३.८ ऋण लेनेवाले यह इस धनदाेश या मॉन्टेड को देने से चुक गये/ देने में देरी की तो लेखिन इन ऋण कर्ता के इसे न देने की शुल्क को की वर्णन २ में लिखा गया है इस मत्ताधिक उसपर लागू होनेवाली जीएसटी के साथ अदा करेंगे।

३.९ ऋण लेनेवाले यह ऐसे बँक खाते को कभी भी बंद नहीं करेंगे जिसके लिये उन्होंने उस मॉन्टेड/अग्रिम धनदाेश दिये हैं तबतक जो इस इकरारनामों के तहत होनेवाले रकम पे मुक्त होनेक अदा नहीं करेंगे, ऐसे परिस्थिती में, ऋण लेनेवाले यह इस बँक कर्ज वेपारें बिना सदकू बँक खाते को किसी भी कारणवश बंद करना हो तो ऐसे वकत, ऋणकर्ता को इस मॉन्टेड/अग्रिम धनदाेश को बदल कर उसे ऋणकर्ता को देयेंगे जो उन्होंने ऋण कर्ता को दिये पहले दिये थे, जो की उसके न दे जाने के शुल्क के साथ जो वर्णन २ में लिखीत तय है किया गया उसके साथ अदा करेंगे।

३.१० ऋण लेनेवाले यह यहाँ पर उनका निष्ठी बँक खाते में देय रकम के वापस करने के कार्य को पूरा करने के लिये उपलब्ध रखेंगे जो इस इकरारनामों के तहत होगी जो की भी प्रकार से ऋण लेनेवालों के आश्वासन के लिये या कार्य के लिये होगी।

३.११ ऋण लेनेवाले यह यहाँ पर वर्णन २ में लिखे हुए तरीकेसे अदा होनेवाली रकम पर (जीएसटी के साथ) अदा करने के लिये जिम्मेदार होंगे जो ऋणकर्ता के द्वारा ऐसे देय रकम पर अदा करने के लिये हर वकत किया जायेगा जो ऋणकर्ता के द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा, बाकी कोई भी रकम जो ऋण लेनेवाले के द्वारा इस इकरारनामों के तहत देय होगी वह अदा करनी पडेगी।

४. जमानत

४.१ ऋण कर्ता ऋण लेनेवालों को इस ऋण को देने के लिये, जमानती द्वारा कबूल किया जाता है एवं हमी दी जाती है की जमानती उसके मुकतत के लिये जिम्मेदार होंगे जो एत रकम जो ऋणकर्ता को इस इकरारनामों के तहत देय होगी वह रकम अदा करनेतक रहेंगे और कूठ प्रमाण में ऋण लेनेवालों की तरह ही

For SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

श्रीराम सिटी यूनियन फायन्यान्स लि. के लिये

Authorized Signatory/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Borrower/ऋण लेनेवाले

Guarantor(s)/ जमानती

("RBI") and/or to the Credit Information Companies and/or to any other agency or body as authorized in this behalf by RBI, to other banks and lenders including assignees and potential assignees, to its professional advisers and consultants and to its service providers instructed by it in relation to the Facilities, and/or as required under law or any applicable regulation, or at the order of a court of law, or at the request or order of any statutory, regulatory or supervisory authority with whom it customarily complies.

- b) The Borrower undertakes and covenants that it shall provide all information, including information regarding other credit facilities enjoyed by the Borrower, as and when required by the Lender. The Borrower declares that the information furnished to the Lender from time to time is and shall be true and correct.
- c) The Borrower and/or the Guarantor(s) hereby further agrees that in case the Borrower and/or Guarantor(s) fails to pay the Lender's dues or commits default in the repayment of the loan installment(s) or interest thereon on due date(s), or the account of the Borrower and/or the Guarantor(s) becomes Non-Performing Assets as per the Reserve Bank of India's norms, the Lender will be at liberty to disclose or publish in print and / or electronic media the photograph(s), name(s) and address(es) of the Borrower and/or the Guarantor(s) as willful defaulter along with the details of outstanding dues payable by such Borrower and/or the Guarantor(s), to the Lender.
- d) The Borrower and/or the Guarantor(s):
- i. accepts that the RBI or the Credit Information Companies and or any other agency so authorized, or any statutory, regulatory or supervisory authority or other lenders / potential lenders, may use, process and disseminate the said information and data disclosed by the Lender in such manner as deemed fit by them in any particular circumstances; and
- ii. shall not hold the Lender responsible or liable in this regard.
- e) The Borrower and/or the Guarantor(s) authorize the Lender to disclose, from time to time any information relating to the Loans to any Parent / subsidiary / affiliates / associate entity of the Lender, and to third parties engaged by the Lender, for the purpose of marketing of services and products and to its investors.

20. INDEMNITY:

The Borrower does hereby indemnify and agree to keep indemnified Lender from time to time and at all times hereafter against all claims, costs, losses and expenses that may be incurred by Lender by reason of any act or default on the part of the Borrower in respect of the said credit facilities and/or the said hypothecated assets and/or any of the terms herein.

The Borrower and the Guarantor(s) have read the entire Agreement, constituting the above clauses including the Loan details and the terms of repayment, the fees and charges payable as clearly enumerated in the Schedule to this Agreement. The Borrower and the Guarantor(s) further confirm that the entire Agreement is filled in their presence and that the contents provided herein is explained in the language understood by the Borrower and the Guarantor(s). The Borrower and the Guarantor(s) further confirm having executed the duly filled in agreement together with the schedules and received a copy of the same along with copies of the documents submitted by me / us. The Borrower and the Guarantor(s) further confirm that they have received the repayment schedule and the amortization schedule and agree to remit the dues as mentioned in the schedule thereto.

यह यह जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआय) और / या किसी भी क्रेडिट जानकारी कंपनी को और / या किसी भी अन्य एजन्सी या संस्था को देने जिन्हें उसके लिये आरबीआय ने नियुक्त किया होगा जो बाकी बैंक के या ऋणकर्ता इनके बिना उनके हकदार और उनके हकदारों का समावेश है। उसके व्यवसायिक सलाह के लिये और सलाहमशवरा के लिये देगे और उनकी सेवा देनेवालों को उनकी सेवाओं के संबंध में देगे और / या जैसे कानूनन या अनन्य किसी सुधारित, नियमित या विशेष प्राधिकरण के तहत जिसे प्राहक हित को रुपये स्थापित किया हो उसके तहत किया जावेगा।

- ब) ऋण लेनेवाले हमी देते हैं और कबूल करते हैं की वह सभी जानकारी जिसमें बाकी उधारी सुविधा के बारे में जो ऋण लेनेवालों ने उसका फायदा लिया हो उस जानकारी समावेश है, वह देगे जैसे और जब भी ऋण कर्ता जरूरत होगी वह देगे। ऋण लेनेवाले घोषित करते हैं की ऋणकर्ता यह हर वक्त दिये हुए ऋण जानकारी यह हमेशा सही और सकार रहेगी।
- क) ऋण लेनेवाले और / या जमानती यह आगे कबूल करते हैं की अगर किसी कारणवश ऋण लेनेवाले और / या जमानती यह ऋण कर्ता को देनेवाली रकम को देने में असमर्थ ठहरे या ऋण रकम वापस करने के लिये या उसपर देय होनावाला ब्याज उस तारीख से देने में चुके तो या ऋण लेनेवाले और / या जमानती इनके खाते यह भारतीय रिज़र्व बैंक के नियम के अनुसार काम न करनेवाले तय हो तो, ऋण कर्ता यह ऋण लेनेवालों के फोटो, जानकारी नाम और पता यह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में देने का अधिकार रखते हैं जो की खुद से बंध करने के लिये होगा और ऐसे ऋण लेनेवाले और / या जमानती इनके द्वारा देय होनेवाली रकम का ब्याज छाप देगे।
- ड) ऋण लेनेवाले और / या जमानती यह:
- १) कबूल करते हैं की आरबीआय या उधारी देनेवाली कंपनी और / या कोई भी प्रातिनिधिक संस्था जिन्हे अधिकार दिया है या कोई भी प्राधिकृत, नियमित या पर्यवेक्षीय या बाकी ऋण कर्ता / ऋण कर्ता इनके यह जानकारी और कागजात जो ऋण कर्ता के द्वारा इन्तेमाल में आ सकते हैं और खुला करेगे जैसे उन्हे वह टिक लगेला उस तरह से किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में करेगे और
- २) इसके लिये ऋणकर्ता यह जिम्मेदार या कारणवश नहीं ठहरे जायेगे।

२०. बंधनत्व:
ऋण लेनेवाले यह ऋण कर्ता को तोषिष नहीं लगने देते हैं और कबूल करते हैं की ऋणकर्ता यह हर वक्त और सभी वक्त या उसके बाद सभी प्रकार के बंधे, किमान, नुकसान और खर्च जो ऋण कर्ता इनके किसी भी कार्य के लिये ऋण लेनेवाले इनके द्वारा इस ऋण सुविधा के बारे में और / या उद्योगध्यान मात्तमा के लिये और / या किसी भी शर्त के बारे में अगर सेहन करनी पडी तो उससे तोषिष नहीं लगने देगे।

उधारकर्ता और गारंटीकर्ता ने इस समझौता के लिए अनुमोदी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित ऋण चिक्कण और पुनर्भुगतान की शर्तों उपरोक्त खंडों सहित उपरोक्त खंडों का गठन किया है। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता द्वारा समझा जाने वाली भाषा में समझाया गया है। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता आगे गेच्यूल के साथ विहित भरे हुए समझौते के निष्पादित करने की पुष्टि करें और मुझे हमारे द्वारा स्वमिष्ट किए गए दस्तावेजों की प्रतियों के साथ इसकी प्रति प्राप्त करें। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता आगे यह पुष्टि करें और मुझे हमारे द्वारा स्वमिष्ट किए गए दस्तावेजों की प्रतियों के साथ इसकी प्रति प्राप्त करें। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता आगे यह पुष्टि करते हैं कि उन्हें पुनर्भुगतान अनुमोदी और परिशोधन अनुमोदी प्राप्त हुई है और अनुमोदी में उल्लिखित चक्रव्यय गणित को प्रेषित करने के लिए सहमत हैं।

I hereby agree and accept that the English Version of the document will prevail in case of any inconsistency in the Vernacular Version

मैं मानता/मानती और स्वीकार करता/करती हूँ कि प्रादेशिक भाषा के संस्करण में कोई भी असंगति होने की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

For SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

श्रीराम सिटी यूनियन फायनान्स लि. के लिये

Authorized Signatory/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Borrower/ऋण लेनेवाला

Guarantor(s)/ जमानती

SCHEDULE 1

वर्णन १

Loan Agreement No.	:	_____	ऋण इकरारनामा क्र.	:	_____
Place & Date	:	_____	जगह एवं तारीख	:	_____
Name of the Borrower	:	_____	ऋण लेनेवाले का नाम	:	_____
Address	:	_____	पता	:	_____
		_____			_____
		_____			_____
Name of the Guarantor(s)	:	_____	जमानती का नाम	:	_____
Address	:	_____	पता	:	_____
		_____			_____
		_____			_____
Name of the Lender	:	Shriram City Union Finance Limited	ऋणकर्ता का नाम	:	श्रीराम सिटी यूनियन फायनान्स लिमिटेड
Address of the Lender	:	_____	ऋणकर्ता का पता	:	_____
		_____			_____

For SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

श्रीराम सिटी यूनियन फायनान्स लि. के लिये

Authorized Signatory/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Borrower/ऋण लेनेवाला

Guarantor(s)/ जमानती

Vehicle	:	_____	गाडी	:	_____
Stamp Charges	:	Rs. _____	स्टॅम्प शुल्क	:	रु. _____
Processing fees	:	Rs. _____	प्रक्रिया शुल्क(जीसटी के साथ)	:	रु. _____
Loan Amount	:	Rs. _____	ऋण रकम	:	रु. _____
Less Advance EMI	:	Rs. _____	ऋण अग्रिम किश्त	:	रु. _____
Net Loan Amount	:	Rs. _____	कुल ऋण रकम	:	रु. _____
Add:Interest	:	Rs. _____	अतिरिक्त : ब्याज	:	रु. _____
Add:Insurance amount for.....Yr/s	:	Rs. _____	अति: बिमा रकम साल _____के लिये	:	रु. _____
Total : Rs.			कुल	:	रु.

REPAYMENT DETAILS

रकम वापसी ब्योरा

The loan is repayable in _____ monthly installments.
First EMI amounting to Rs. _____
is payable on _____

ऋण यह _____ में वापस करना है जिसकी मासिक किश्त.
प्रथम मासिक किश्त रु. _____ देय
तारीख _____.

The next _____ installments of Rs. _____ per month
is payable on the _____ of every month, commencing
from _____ to _____

आगे की _____ किश्त रु. _____ प्रति महिना
देय तारीख _____ हर महिने के, शुरु
होकर _____ तबतक _____

The next _____ installments of Rs. _____ per month
is payable on the _____ of every month, commencing
from _____ to _____

आगे की _____ किश्त रु. _____ प्रति महिना
देय तारीख _____ हर महिने के, शुरु
होकर _____ तबतक _____

The next _____ installments of Rs. _____ per month
is payable on the _____ of every month, commencing
from _____ to _____

आगे की _____ किश्त रु. _____ प्रति महिना
देय तारीख _____ हर महिने के, शुरु
होकर _____ तबतक _____

SCHEDULE 2

वर्णन २

- Effective Rate of interest : _____ % p.a
- **Overdue interest for delayed remittance of installments @36% p.a on the installment amount in arrears from time to time**
- Bank charges : Rs.500/- per instance of cheque bounce
- Collection charges : Rs.250/- per visit to the Borrower / Guarantor's place
- Swap charges: Rs.500/- per swap
- Prepayment charges : @ 4% on the Principal outstanding
- Postal charges: Rs.50/- per dispatch by post / courier or actual whichever is higher
- All charges are payable together with applicable GST.
- Venue of Arbitration : _____
- Jurisdiction of courts : _____

- ब्याज का परिणामी दर _____ टका सालाना
- अतिरिक्त देय ब्याज जो किश्त वापस करने के लिये जो ३६ टका प्रति साल किश्तों की रकम के लिये जो हर वक्त बाकी रहेगी।
- बैंक शुल्क : रु. ५००/- प्रति धनादेश कॅश न होनेपर (बाउन्स होनेपर)
- जमा करने का शुल्क रु. २५०/- ऋण लेनेवाले /जमानती इनके जगह को विजिट करने के लिये।
- किश्त न देने मे चुक करने का शुल्क: ५००/- प्रति किश्त चुकने के वक्त
- रकम वापसी शुल्क ४ टका मुल बाकी रकमपर
- पोस्टल शुल्क : रु. ५०/- प्रति पोस्ट/ कुरीअर या मुल जो ज्यादा रहेगी वह
- सभी शुल्क जो उसक लागु होनेवाले जीएसटी।
- लवाद की जगह _____
- न्यायालय की न्यायकक्षा _____

For SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

श्रीराम सिटी यूनियन फायनान्स लि. के लिये

Authorized Signatory/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Borrower/ऋण लेनेवाल

Guarantor(s)/ जमानती